

राजकीय महाविद्यालय, हांसी

विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

1. यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे चाहिए कि वह विधिवत् आवेदन-पत्र देकर अपना नाम कटवा ले अन्यथा उसे जुर्माना होता रहेगा और वह राशि उसकी प्रतिभूति (Security) में से काट ली जाएगी।
2. द्यूटोरियल ग्रुप मीटिंग में तथा कॉलेज में मनाए जाने वाले उत्सवों में सम्मिलित होना आवश्यक है अन्यथा विशेष जुर्माना किया जा सकता है।
3. कॉलेज छोड़ने के बाद अपनी प्रतिभूति एक वर्ष के भीतर ही आवेदन-पत्र देकर ले जानी चाहिए अन्यथा वह कॉलेज निधि में जमा करा दी जाएगी।
4. किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा ना करें। कानून को अपने हाथ में ना लें। यदि कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसकी सूचना तुरन्त द्यूटर या प्राचार्य महोदय को दें।
5. प्रतिदिन सूचना पट्ट अवश्य देखें।
6. खाली समय में पुस्तकालय का सदुपयोग करें। बरामदों में न घूमें, ऐसा करने पर दण्डित किया जाएगा।
7. कॉलेज प्रांगण में धूम्रपान अथवा किसी भी प्रकार का नशा करना अपराध है। ऐसा पाये जाने पर जुर्माना किया जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
8. कॉलेज में अपना पहचान-पत्र पहन कर रखें।
9. कॉलेज प्रांगण को स्वच्छ रखें, दीवारों व फर्नीचर पर कुछ न लिखें।
10. कॉलेज की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना दण्डनीय है। किसी प्रकार के फूलों को तोड़ना और खराब करना निषेद्ध है।
11. रैगिंग कानूनन जुर्म है। इसमें संलिप्त होने वाले विद्यार्थियों को निष्कासित कर दिया जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
12. कॉलेज में Conduct Register रखा हुआ है। यदि कोई विद्यार्थी अनुशासनहीनता दिखलाता है तो उसे Black Marks दिये जाएंगे और इसका वर्णन चरित्र प्रमाण-पत्र में किया जा सकता है और इसी प्रकार अनुशासनहीनता करने पर विद्यार्थी कॉलेज से निलम्बित (Suspend) किया जा सकता है और उस पर जुर्माना किया जा सकता है। अनुशासनहीनता पर उन्हें कॉलेज एवं विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
13. अच्छा कार्य करने वाले को Appreciation Marks दिए जाएंगे। उनके चरित्र के आधार पर उन्हें अनुशंसा पत्र या कॉलेज कलर से (Certification of Appreciation/College Colour) महाविद्यालय के वार्षिक-पारितोषिक वितरण समारोह में सम्मानित किया जा सकता है।
14. जाली हस्ताक्षर करने वालों को विशेष दण्ड दिया जा सकता है।
15. किसी भी विद्यार्थी को कक्षा में जाने से बलपूर्वक रोकने या पढ़ाई में बाधा डालने पर सख्त दण्ड दिया जा सकता है।
16. यदि किसी भी विद्यार्थी को Black Marks मिले हैं और उसके पश्चात् वह प्रशंसनीय कार्य करता है तो इससे उसके Black Marks कम हो सकते हैं।

17. सभी विद्यार्थी कॉलेज में स्टाफ और कर्मचारियों के साथ सद्व्यवहार करें।
18. विद्यार्थियों को चाहिए कि बसों की छत पर चढ़कर यात्रा न करें और परिवहन कर्मचारियों से सही व्यवहार करें।
19. विद्यार्थियों के बस पास केवल उनके स्थाई पते पर ही बनेंगे, जिसका वर्णन विद्यार्थी ने अपने प्रवेश-प्रपत्र (Admission Form) में किया है।
20. विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा हेतु परीक्षा-फार्म (Examination Form) अगस्त/सितम्बर में (पहले, तीसरे तथा पाँचवें सेमेस्टर के लिए) तथा जनवरी/फरवरी में (दूसरे, चौथे तथा छठे सेमेस्टर के लिए) भर्वाये जाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा फीस जमा न करवाने तथा कक्षा से नाम कटने के कारण उनके परीक्षा-फार्म विश्वविद्यालय में नहीं भेजे जाते और इससे सम्बन्धित सूचना (Notice Board) सूचना पट्ट पर लगाई जाती है। अतः सभी विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे कार्यालय में सम्बन्धित लिपिक/प्रभारी से सम्पर्क करके सुनिश्चित कर लें कि उनका परीक्षा-फार्म विश्वविद्यालय में भेजा जा चुका है, अन्यथा महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी और विद्यार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा से वंचित रह सकता है।
21. यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय के प्रांगण में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे आन्दोलन में भाग लेगा या महाविद्यालय के किसी भी अन्य विद्यार्थी को किसी ऐसे कार्य में सम्मिलित होने के लिए परामर्श देगा अथवा उकसायेगा, जो महाविद्यालय परिवार की दृष्टि में महाविद्यालय के अनुशासन के विरुद्ध हो उसे प्राचार्य द्वारा किसी भी प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है। इस प्रकार की संलिप्तता पाये जाने पर विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित करके उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अतः विद्यार्थी जितने समय तक महाविद्यालय में रहेगा, उसे किसी प्रकार के आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
22. सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने हेतु प्रत्येक विषय में अलग-अलग 75 प्रतिशत उपस्थिति (Attendance) अति अनिवार्य है। अतः विद्यार्थी अपनी सभी कक्षाओं में उपस्थित हो अन्यथा रुपये 5/- प्रति विषय/प्रतिदिन अनुपस्थिति (Absentee) जुर्माना लगेगा। लगातार 6 दिन या महीने में 14 दिन किसी भी एक विषय में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी का महाविद्यालय से नाम काट दिया जाएगा। दोबारा नाम 15 कार्य दिवस के अन्दर ही लिखवाने के लिए आवेदन के साथ रुपये 500/- जुर्माना देय होगा तथा विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए वांछित उपस्थिति भी पूरी करनी होगी। अतः विद्यार्थी के लिये यह अति आवश्यक है कि वह अपनी प्रत्येक विषय की कक्षाएं लगाए। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं परीक्षा से वंचित रहने पर अभिभावकों को सूचित कर दिया जाएगा। सेमेस्टर में दोबारा नाम कट गया तो फिर उसका नाम नहीं लिखा जाएगा।